

पत्र संख्या-गव्य (आ0-07) 04/2026-(17)-

(डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग)

गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

विनय कुमार चौधरी
निदेशक (गव्य)।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
गव्य विकास निदेशालय
बिहार, पटना।

पटना-14, दिनांक-

विषय:- मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0105-आधुनिक तकनीकों से डेयरी का समग्र विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन तंत्र सुदृढीकरण सात निश्चय-3, मांग संख्या-02, विपत्रकोड-02-2404007890105, अन्तर्गत 31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में ₹ 7,94,35,200/- (सात करोड़ चौरानवे लाख पैंतीस हजार दौ सौ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के राज्यादेश संख्या-6 एस0एस0(6)72/2026-4612 दिनांक 21.08.2026 द्वारा स्वीकृत सात निश्चय-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 6392.95 लाख (रुपये तिरसठ करोड़ बानवे लाख पंचानवे हजार) मात्र के अनुमानित व्यय पर कॉम्पेड, पटना द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन एवं पशु की उत्पादकता में वृद्धि हेतु "नस्ल सुधार योजना" की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2026-2027 में उक्त राज्यादेश के अनुपालन में बिषयांकित बजट शीर्ष में योजना के क्रियान्वयन हेतु कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का प्रशिक्षण एवं आ0वी0एफ0/ई0टी0टी0 (IVF-In Vitro Fertilization) हेतु बंधेज राशि अन्तर्गत ₹ 7,94,35,200/- (सात करोड़ चौरानवे लाख पैंतीस हजार दौ सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटित किया जाता है।

2) वर्तमान आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 एवं 314/वि0 दिनांक 01.04.2026 के आलोक में दिया जाता है। राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेशों का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3) व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- उपशीर्ष-0105-आधुनिक तकनीकों से डेयरी का समग्र विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन तंत्र सुदृढीकरण सात निश्चय-3, मांग संख्या-02, विपत्रकोड-02-2404007890105, अन्तर्गत विषय शीर्ष 0105.31.06- सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में मूल बजट उपबंधित राशि से होगा।

4) व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी विपत्र संख्या एवं कोषागार प्रमाणक संख्या के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

5) CFMS प्रणाली में Own Office रहने के फलस्वरूप CFMS प्रणाली में बजट उपबंधित राशि अन्तर्गत आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6) प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त है।

7) प्रस्ताव में सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक- गव्य (आ0-07) 04/2026- / पटना -14, दिनांक:-
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक— गव्य (आ0-07) 04/2026—

/ पटना -14, दिनांक:-

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोशागार, विकास भवन, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक— गव्य (आ0-07) 04/2026—

82(आ0)

/ पटना -14, दिनांक:-

31/08/2026

प्रतिलिपि—प्रबंधक (आई0टी0), डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

B. K. Choudhary
31-8-26
निदेशक (गव्य)